न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 22/2020

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स–

1. उदाराम पुत्र मोडाराम
2. मेरामाराम पुत्र मोडाराम
3. मानाराम पुत्र मोडाराम

जाति कलबी निवासी उचिया
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. नारणाराम पुत्र वजाराम
   जाति कलबी निवासी उचिया
   तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. राणाराम पुत्र सुखाराम
   जाति जाट निवासी सारणों का
   तला, होडू तहसील सिणधरी
   जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑप
   बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा
   दाखां
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑप
   बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भूंका
5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/प्रआद्वा/04/124 दिनांक 10.12.2004 जो अपीलांट्स के पिता व उत्तरदाता सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।
4. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तत्कालीन उप तहसीलदार सिणधरी के

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 10.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा घांचीड़ा के खेत खसरा नम्बर 346 / 2, 376 रकबा क्रमशः 32–09, 04–19 बीघा भूमि के खातेदारान नारणाराम वल्द वजा कौम कलबी, राणाराम वल्द सुखाराम कौम जाट सा. सारणों का तला (होडू), मोडा वल्द प्रेमा कौम कलबी सा. दाखां एवं खसरा नम्बर 343 / 1 रकबा 27–03 बीघा के खातेदारान नारणाराम वल्द वजा, मोडा वल्द प्रेमा कौम कलबी सा. दाखां ने प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में दिनांक 10.12.2004 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी दाखां द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी व नक्शे में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही हैं एवं मौके पर खातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। वर्तमान जमाबंदी की भूमि पैतृक सम्पति हैं एवं सैटलमेंट रेकर्ड के अनुसार सही हैं। हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक सिणधरी द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया कि पटवारी रिपोर्ट एवं जमाबंदी तथा नक्शानुसार विभाजन प्रस्ताव की जांच की गई। विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही है। लगान का विभाजन भी सही किया हुआ हैं। भूमि सैटलमेंट रेकर्ड के अनुसार पुश्तैनी हैं। इस पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2004 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपी[illegible]य सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को [illegible]टिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पो0 सं. 1 के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

कि अपीलांट्स के पिता एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 2 ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 व उसके पुत्र द्वारा सहमति से हिस्सानुसार व कब्जानुसार बंटवाड़ा करने हेतु अपीलांट्स के पिता स्व0 मोडा से खाली स्टाम्प व नक्शा पर अंगूठा निशान करवाये गये। उस समय नक्शा में रंग भरे हुए नहीं थे तथा रेस्पोडेंट्स ने बाद में गलत विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी से तैयार करवाकर अपीलांट्स के हिस्से में आने वाली 05—03 बीघा भूमि अपीलांट्स को कम दी गई। इस प्रकार उक्त विभाजन प्रस्ताव उनको धोखे में रखकर अंगुठा निशान ले लिये जिसकी जानकारी स्व0 मोडा को तत्समय नहीं होने दी गई। इस प्रकार अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश अविधि सम्मत, गलत व हिस्सा एवं कब्जा के विपरित होने से निरस्त योग्य होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी समस्त रकबा 64—11 बीघा में 1/2 हिस्सा अपीलांट्स का रकबा 32—06 बीघा आता हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन के द्वारा खसरा नम्बर 343/1 रकबा 27—03 बीघा भूमि दी गई हैं जो उसके हिस्से से 05—03 बीघा कम हैं। अपीलाधीन दूषित विभाजन के द्वारा अपीलांट्स के हिस्से की उक्त 05—03 बीघा भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 के हिस्से में चली गई हैं। इस प्रकार उप तहसीलदार सिणधरी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं। अपीलांट्स के पिता अनपढ़ व निरक्षर होने के कारण उन्होने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर कागजात रेस्पोडेंट्स सं. 1 व हल्का पटवारी को दिये थे उसके बाद अपीलांट्स को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी ने रेस्पोडेंट्स से मिलकर पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा तैयार किया। इससे विभाजन नक्शा प्रारम्भ से ही दूषित आदेश की श्रेणी में आने से निरस्त योग्य हैं। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में जमाबंदी में पक्षकारान के हिस्से एवं मौके की स्थिति के विपरित टिप्पणी कर पक्षकारान की सहमति बताई हैं जबकि वास्तव में पटवारी हल्का मौके पर गये ही नही और कब्जा की स्थिति को देखे बिना ही गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश मे जो नक्शा प्रस्तुत किया गया उसकी जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त अनुसार नही होने की जानकारी [illegible] जब बरसात के अपीलांट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि [illegible] कर रहे थे तो रेस्पो0 सं. 1 के पुत्र द्वारा सूड़ करने से मना किया तथा धमकी दी गई कि उक्त भूमि हमारे नाम से दर्ज हैं। इस पर अपीलांट्स ने दिनांक 24.07.2020 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी नकल व नक्शा प्राप्त किया तब पता चला की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

बंटवाड़ा सही नहीं हुआ हैं, इसके बाद तहसील सिणधरी से बंटवाड़ा के आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 29.07.2020 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश गलत जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। यह अपील जानकारी होने की तिथी से अन्दर मयाद पेश की जा रही हैं तथा धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश किया जा रहा हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 10.12.2004 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश का अपीलांट्स को आरम्भ से ही ज्ञान था तथा इस अपील में विलम्ब के संबंध में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश दोनो पक्षों की सहमति से पारित हुआ हैं तथा सहमति से पारित आदेश अपील योग्य नही हैं। अपीलांट्स के पिता मोडाराम का देहान्त दिनांक 11.12.2005 को हुआ तथा अपीलांट्स के हिस्से में आई भूमि रकबा 27–03 बीघा का नामान्तरकरण सं. 174 दिनांक 20.09.2006 स्वीकृत होने पर अपीलाधीन विभाजन की जानकारी हो जानी चाहिए थी। अपीलांट्स के हिस्से में आई भूमि 27–03 बीघा में से अपीलांट्स के भाई रतनाराम द्वारा अपना हिस्सा 1/4 अपीलांट्स के पक्ष में परित्याग पंजिबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 18.03.2006 के द्वारा किया गया था तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर अपीलांट्स ने नामान्तरकरण सं. 182 दिनांक 05.12.2006 को ग्राम पंचायत से स्वीकृत कराया था तब अपीलाधीन विभाजन की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार अपीलांट्स द्वारा अपने हिस्से की 27–03 बीघा भूमि एसबीबीजे बैंक शाखा दाखां के पक्ष में रहन रखकर कर्जा प्राप्त किया जिसका रहन नामान्तरकरण सं. 242 दिनांक 20.06.2008 को स्वीकृत हुआ तब उन्हे अपीलाधीन विभाजन की जानकारी अवश्य हुई थी। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र महज कानूनी औपचारिकता के तहत प्रस्तुत किया हैं, जो किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नही हैं तथा हस्तगत अपील पूर्णतया मयाद बाहर होने से श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अपीलांट्स [illegible] अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन [illegible] का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि [illegible] अभियान 2004 के तहत दिनांक 10.12.2004 को उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। पक्षकारान ने सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश के द्वारा विभाजन होने के पश्चात अपीलांट्स के पिता मोडाराम के फोत होने पर राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स के नाम अंकित करने हेतु नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ हैं, इसके पश्चात अपीलांट्स के एक भाई द्वारा अपना हक–हिस्सा अपीलांट्स के पक्ष में जरिये पंजिबद्ध हकतर्कनामा हक परित्याग किया गया हैं तथा अपीलांट्स द्वारा अपने हिस्से में आई हुई भूमि बैंक के पक्ष में रहन रखते हुए ऋण भी प्राप्त किया हैं जिसका भी राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण इन्द्राज हुआ हैं। उक्तानुसार हस्तान्तरण एवं रेकर्ड में अद्यतन के दौरान अपीलांट को अपीलाधीन कार्यवाही ज्ञान हो जाना चाहिए था किन्तु अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने में अपना सद्भाविक विलम्ब मानते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय दृष्टांत आर0आर0टी0 2011(2) पेज 1350 प्रस्तुत किया जिसमें निर्धारित किया गया हैं कि "तकनीकी आधारों के बजाय मामला गुणागुण पर निर्णित करना चाएिये" इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टांत 2017(2) आर0आर0टी0 1104 में भी निर्धारित किया गया हैं कि "A party should not be deprived from justice on technical ground." प्रकरण में मेरीट के बिन्दु पर न्यायिक दृष्टांत 2012(1) आर0आर0टी0 658 प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्धारित किया गया हैं कि "Settlement deed based on consent obtained by fraud or false statement is voidable." इस प्रकार अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपील में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर धोखे से सहमति प्राप्त करने का तथ्य प्रकट किया हैं किन्तु वह उनके द्वारा कपट साबित नहीं किया गया हैं। इसके अलावा अपीलांट्स द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के करीब 16 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं तथा अपीलाधीन आदेश की वास्तविक जानकारी दिनांक 29.07.2020 को होना प्रकट किया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने का सरासर मिथ्या कथन किया हैं। इससे भी अपीलांट्स न्यायालय के समक्ष स्वच्छ मानसिकता से नहीं आये हैं तथा उपयुक्त न्यायिक दृष्टांत किसी भी तरह से हस्तगत अपील में प्रयोज्य प्रतीत नहीं होते हैं। प्रकरण में मयाद के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015(1) आर0आर0टी0 232 भानुप्रतापसिंह बनाम श्रीमति धनश्याम कुमारी स्पष्ट रूप से लागू होता हैं जिसमें निर्धारित किया गया हैं कि "Law of limitation is not only a formality, delay cannot be condoned when the party him self was not vigilant." हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के समक्ष तीन अवसरों पर अपीलाधीन विभाजन के संबंध में जानकारी पुख्ता करने मौका आया था किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अपने हक के प्रति उदासीन रहे हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से मयाद के बिन्दु पर खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन मिथ्या कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested